विषय :—विटामिन एवं मिनरल प्रीमिक्स के पंजीयन के संबंध में दिनांक 06.01.2021 को सम्पन्न प्री—बिड मीटिंग का कार्यवाही विवरण ।

आज दिनांक 06.01.2021 को प्रबंध संचालक के कक्ष में विषयान्तर्गत प्री—बिड मीटिंग सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए :—

1. मेसर्स प्रोग्रेसिव प्रोसेसर प्रा. लि.
2. मेसर्स प्रगति एग्रो फूडस् प्रा.लि.
3. मेसर्स हाईप्रो एग्री फूडस् प्रा.लि..
4. मेसर्स नोवी टेक हेल्थ केयर लि.
5. मेसर्स हर्षित प्रीमिक्स लि.
6. मेसर्स राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी
7. मेसर्स ए.सी.क्यू. केम लेब प्रा.लि.
8. मेसर्स हेक्सागॉन न्यूट्रीशन प्रा.लि.

उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी चाही गई जो निम्नानुसार है :—

कं	चाही गई जानकारी	निगम का स्पष्टीकरण
1.	रूपये 5.00 करोड़ का जो टर्न ओवर निर्धारित किया गया है, वह किस सामग्री का है ?	यह शर्त आवेदनकर्ता के कुल टर्न ओवर से संबंधित है ।
2	30 केजी की पैकिंग में सामग्री का प्रदाय करना है तथा मिनरल प्रीमिक्स की मात्रा अलग—अलग होगी तो इसका किस प्रकार प्रदाय किया जाना है ?	विटामिन का आदेश 30 केजी की पैकिंग के अनुसार दिया जाएगा और उसी अनुरूप मिनरल प्रीमिक्स अलग से प्रदाय करना होगा । अंतिम बेग 30 केजी का न होकर इससे कम मात्रा का होगा । विटामिन मिनरल अलग अलग पैकिंग में प्रदाय करना हैं ।
3	सामग्री भेजते समय जिसके पास इन—हाउस लेब नहीं है, वह किस लेब की टेस्ट रिपोर्ट भेजेंगे ?	पंजीयन दस्तावेजों के एनेक्सर—5 में स्पष्ट किया गया है कि जिसके पास इन—हाउस लेब नहीं होगी, वे किसी भी NABL Accredited Lab से अनुबंध कर सकते हैं तथा जिस लेब से अनुबंध किया है, उसी लेब की टेस्ट रिपोर्ट प्रदाय के साथ संलग्न कर सकते हैं ।

क्रं	चाही गई जानकारी	निगम का स्पष्टीकरण
	मेसर्स ए.क्यू.सी केम लेब प्रा.लि द्वारा पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से पूछा गया है कि वर्तमान में जो वेण्डर रजिस्टर्ड हैं, वे वर्ष 2022 तक के लिए रजिस्टर्ड हैं, अतः नए वेण्डरों की क्या आवश्यकता है ? यदि और अधिक वेण्डरों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तो अन्य सामग्रियों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाना चाहिए । पंजीयन दस्तावेजों में Eligibility Criteria को पूर्वानुसार नहीं रखा गया है जबकि विटामिन मिनरल Important सामग्रियां है । उन्होंने यह भी आशंका जताई कि किसी Particular वेण्डर को पंजीकृत करने के लिए शर्तो को शिथिल किया गया है । मेसर्स हैक्सागॉन न्यूट्रीशन द्वारा भी समान प्रकार का पत्र दिया गया है ।	मध्यप्रदेश स्थित कोई भी प्रदायक पंजीयन प्रकिया में सम्मिलित नहीं है, अतः नए पंजीयन की आवश्यकता हुई है । टर्न ओवर संबंधी शर्तें पूर्वानुसार रखी गई हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा FSSAI के लाइसेंस अनुसार प्रतिदिन की न्यूनतम उत्पादन क्षमता 10 टन अथवा एक वर्ष की क्षमता 3000 टन रखी गई है ।

<u>प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

महाप्रबंधक (पोषण आहार)